न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर

पीठासीन अधिकारी :– ज्योति पटेल, आर.जे.एस
सीआईएस संख्या (CIS No.) :– 472/2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 190/2015, पुलिस थाना–जैतारण।
सी.एन.आर नं. :– RJBE060005622015

अभियोगी :
राजस्थान राज्य।

बनाम

अभियुक्ता :
सम्पतराज पुत्र हस्तीराम, निवासी निमाज बेरा चान्दोरा का रवाला, थाना जैतारण, जिला ब्यावर।

अपराध अन्तर्गत धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थिति :

1. विद्वान् अभियोजन अधिकारी, – वास्ते राज्य।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता– वास्ते अभियुक्त।

क्र.सं.	स्तर	दिनाँक
1.	प्रसंज्ञान	23.12.2015
2.	आरोप विरचन	26.07.2016
3.	साक्ष्य अभियोजन समाप्त	09.04.2026
4.	बयान मुलजिम	04.05.2026
5.	बहस अंतिम सुनी	08.06.2026
6.	निर्णय	09.06.2026

निर्णय दिनाँक : 09.06.2026

01. इस प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना जैतारण की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी अभियुक्त सम्पतराज के विरूद्व आरोप पत्र अंतर्गत धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करने पर हुआ।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.04.2015 को मन मुख्य आरक्षक राजेन्द्रसिंह 467 मय मुआ, वेदपाल नं. 89 कानि. भुण्डाराम नं. 267 कानि. सत्यनारायण नं. 1455 मय सरकारी जीप चालक श्री तेजपाल नं. 1126 के माफिक ईतला मुखबीर के थाना जैतारण वक्त 04.30 पी.एम. पर रवाना होकर आसरलाई जाने वाले रास्ते पर पहुंच कर वक्त 5 पी.एम. पर नाकाबन्दी प्रारंभ की तो वक्त 05.05 पी.एम. पर सम्पत पुत्र हस्तीराम, उम्र 32 साल, निवासी बेरा चान्दोरा का रवाला निमाज आसरलाई रास्ते से निमाज की ओर आता हुआ दिखाई दिया जिसको मन् मुआ. व जाब्ता पूर्व से पहचानते हैं। सम्पत जो पुलिस जाब्ता को बावर्दी देख हड़बड़ा गया व भागने की कोशिश की जिसको दस्तयाब किया जाकर चेक किया तो बायीं तरफ पेन्ट की अन्टी में एक देशी कट्टा मिला व दाहिनी जेब में दो कारटीज (राउण्ड) मिले। सम्पत को देशी कट्टा व दो कारतूस अपने कब्जे में रख परिवहन करने बाबत प्रति अनुज्ञा पत्र लाईसेन्स बाबत पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया। सम्पत राज का उक्त कृत्य जुर्म धारा 03/25 आर्म्स एक्ट की तारीफ में आना पाया जाने से व मौके पर स्वतंत्र मौतबीर उपस्थित नहीं होन से हमराही जाब्ता में से मुआ वेदपाल नं. 89, कानि. सत्यनारायण नं. 1455 को मौतबीर मामूर कर अवैध देशी कट्टा का निरीक्षण किया गया तो बिना नम्बरी कट्टा जिसकी लंबाई साढ़े नौ इंच, नाल की लंबाई साढे पांच इंच, नाल का व्यास पोण इंच, लोहे का धोड़ा व लोकिग कैच, ट्रेगर व लकड़ी बट है। जिसको एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शील्ड चेपा कर मार्क A अंकित किया तथा दो राउण्ड जिसकी पेन्दी पर 12 अंग्रेजी में शक्तिमान एक्सप्रेस लिखा हुआ। लाल रंग के काटीज को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शील्ड चेपा कर मार्क B अंकित किया। मुलजिम को धारा 41 जा.फौ. के नोटिस की पालना करते हुए जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया। नक्शा नजरी बरामदगी स्थल मुर्तिब किया गया। बाद फारिक कार्यवाही अवैध जब्त पैकेट मार्क A व B तथा मुलजिम मय जाब्ता के थाना पहुंच जब्तशुदा अवैध देशी कट्टा मार्क A व B मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम सम्पतराज व मुर्तिबा कागजात पेश कर वगैरा पर प्रकरण सं. 190 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर बाद संपूर्ण अनुसंधान मुलजिम

सम्पतराज के विरुद्ध अंतर्गत धारा 03/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर, अपराध अन्तर्गत धारा 03/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. **साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन की ओर से गवाहान** पी.डब्ल्यू. 01 वेदपाल, पी.डब्ल्यू. 02 दलपत सिंह, पी.डब्ल्यू. 03 सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू. 04 भूण्डाराम, पी.डब्ल्यू. 05 गौतम कुमार, पी.डब्ल्यू. 06 राजेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू. 07 कानाराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

05. **अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य** में प्रदर्श पी 01 फर्द बरामदगी सामान, प्रदर्श पी 02 फर्द नक्शा नजरी बरामदगी स्थल, प्रदर्श पी 03. फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सम्पराज, प्रदर्श पी 04 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी 05 चाक एफआईआर को प्रदर्शित करवाया।

06. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने गवाहों द्वारा किये गये बयानों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किया कि गवाह झूठ बोलते हैं वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

07. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन कर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

08. अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस में मुख्य रूप से उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये तर्क दिये कि प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही प्रदर्श पी 01 लगायत 03 तैयार कर लेना जिसकी तस्दीक अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं करना। पत्रावली पर आरमोरर की रिपोर्ट नहीं होना, मालखाना व मालखाना साक्षी परीक्षित व प्रदर्शित नहीं होना, अभियोजन स्वीकृति प्रदर्शित नहीं होना, स्वतंत्र साक्षी नहीं

होना इत्यादि कथित कर अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

09. हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

01. ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.04.2015 को समय करीब 5.05 पी.एम पर मौजा निमाज में बिना वैद्य अनुज्ञा पत्र के एक देशी कट्टा व दो कारटीज अपने भौतिक व चैतन्य कब्जे में रखकर परिवहन करते हुये आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया''

02. यदि हाँ तो अभियुक्त किस दण्ड/आदेश का दायी होगा?

10. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का तुलनात्मक विवेचन करें तो अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 वेदपाल, पी.डब्ल्यू. 03 सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू. 04 भूण्डाराम, पी.डब्ल्यू. 06 राजेंद्र वे व्यक्ति है, जो मुखबीर की इत्तिला पर रवाना हुये, नाकाबंदी की व अभियुक्त से हथियार बरामद करना बताया। उक्त चारों ही साक्षीयों ने अपने मुख्य परीक्षण में एक समान रूप से दिनांक 16.04.2015 को मुखबीर की इत्तिला पर समय 4.30 बजे रवाना होकर आसरलाई रोड़ के पास पहुंचकर नाकाबंदी करना व करीब 5.05 बजे अभियुक्त का आना, जो बावर्दी पुलिसवालों को देखकर भागने का प्रयास करना जिसे दस्तयाब कर अभियुक्त की बांयी तरफ पेंट की अन्टी से देशी कट्टा व दाहिनी जेब से दो कारटीज बरामद/जब्त करना बताया है। साथ ही साक्षी पी.डब्ल्यू. 01, पी.डब्ल्यू. 04 व पी. डब्ल्यू. 06 ने बरामद व जब्त विषयवस्तु की पहचान इत्यादी भी बतायी। पी.डब्ल्यू. 03 उक्त बाबत् कथन करने में असफल रहा है। साथ ही उक्त पी.डब्ल्यू. 01, पी. डब्ल्यू. 03 व पी.डब्ल्यू. 06 ने प्रदर्श पी 01 लगायत प्रदर्श पी 05 मार्क अंकित करवाया। जिरह में उक्त चारों साक्षीयों ने एफआईआर दर्ज होने से पूर्व ही फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका बरामदगी व जब्ती बना लेने, मौके पर लोगों का आवागमन होना, घटना के वक्त भी लोगों का आवागमन होना, स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाना, उक्त कार्यवाही के बाद थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाना इत्यादि बताया।

इसी क्रम में महत्वपूर्ण रूप से अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 02 के कथनों की बात करें तो पी.डब्ल्यू. 02 ने मुख्य परीक्षण में दिनांक 16.04.2015 को अनुसंधान मिलने पर प्रार्थी राजेंद्र, साक्षी वेदपाल, सत्यनारायण व भूण्डाराम के बयान लेखबद्ध करवा बरामद बंदूक को आरमोरर के पास भेजना, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना बताया। जिरह में पी.डब्ल्यू. 02 ने प्रदर्श पी 01 लगायत 03 के स्वयं के समक्ष नहीं बनाना, ना ही स्वयं मौके पर होना अनुसंधान हेतु एफआईआर के साथ मुलजिम की गिरफ्तारी, नक्शा मौका, जब्ती प्राप्त होना इत्यादि बताया जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यवाही अनुसार सही भी है लेकिन इतना कह देना मात्र ही अनुसंधान अधिकारी के लिये पर्याप्त नहीं होगा। अनुसंधान अधिकारी के लिये आवश्यक था कि वह अनुसंधान प्राप्त होने पर वह मौके पर जाकर उक्त प्रदर्श पी 01 लगायत 03 की ताईद करता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो कि पुलिस कार्यवाही व उक्त पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 04 व पी.डब्ल्यू. 06 के कथनों व उनकी कार्यवाही की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह् लगाकर अभियोजन कथानक पर संशय उत्पन्न करता है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 05 गौतम कुमार मात्र आरोप पत्र पेश करने का साक्षी है जिसके कथन मात्र आरोप पत्र पेश करने तक ही ग्राह्य है जिससे कि आरोप पत्र पेश करना साबित होता है, ना कि आरोपित अपराध।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 07 कानाराम आरमोरर है, जो हस्तगत प्रकरण में बरामद व जब्त विषयवस्तु का निरीक्षण करना बताकर उसकी विषयवस्तु का विवरण इत्यादि बताकर फायर योग्य हथियार होना मुख्य परीक्षण में बताता है। जिरह में पी.डब्ल्यू. 07 स्वयं की निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होना व इस कारण यह नहीं कह सकना कि उसने प्रकरण में बरामदशुदा माल का निरीक्षण किया हो बताया है जिससे कि प्रकरण में बरामद व जब्त विषयवस्तु की पहचान व फायर आर्म्स होना ही संदेह के दायरे में आ जाता है। ऐसे में उपर्युक्तानुसार साक्षीयों की साक्ष्य से अभियोजन कथानक का आधार फायर आर्म्स होना ही संदेह से परे साबित नहीं है। उक्त संदेह को बल प्रदान करता है मालखाना साक्षी का व माल का नहीं आना, ना ही मालखाना रजिस्टर प्रदर्शित करवाना। चूंकि प्रकरण में मालखाना नहीं आया है, ना ही मालखाना साक्षी परीक्षित हुआ, ना ही आरमोरर की रिपोर्ट है व इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से प्रकरण का

अन्य आधार अभियोजन स्वीकृति ही प्रदर्शित नहीं करवायी गयी जो कि गंभीर संदेह अभियोजन कथानक व पुलिस कार्यवाही पर उत्पन्न करते है एवं अभियुक्त को लाभ प्रदान करने वाले हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त संपतराज के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

11. परिणामस्वरूप अभियुक्त सम्पतराज पुत्र हस्तीराम, निवासी निमाज बेरा चान्दोरा का रवाला, थाना जैतारण, जिला ब्यावर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इस आदेश के विरूद्ध अपील होने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् अभियुक्त को दं.प्रं.सं. की धारा 437(ए) के अधीन राशि रूपये 20,000/– रूपये का मुचलका व इसी राशि की एक जमानत 06 माह की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावे। प्रकरण में जब्तशुदा माल को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निस्तारित किया जावें।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर

12. निर्णय आज दिनांक **09.06.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर